उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (गोपन) अनुभाग-3
संख्या : 103/1/5/2001-सी0एक्स0-3
लखनऊ: दिनांक: 8 फरवरी, 2005

अधिसूचना

चूंकि नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग लोक प्रकृति के प्रयोजनों के लिए अर्थात तेल आपूर्ति के लिए किया जा रहा है,

और चूंकि उसके सम्बन्ध में कोई सूचना या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न से शत्रु को लाभ पहुंचेगा,

अतएव, अब; भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-1265 दिनांक- 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19 सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करते हैं, और यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगाई जायेगी ।

अनुसूची

"प्रतिषिद्ध स्थान" का नाम और उसकी विनिर्दिष्टियां
इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड आंवला डिपो जिला-बरेली

पूरब में - रेलवे स्टेशन सड़क ।
पश्चिम में- भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बल्क डिपो ।
उत्तर में - भारत पेट्रोलियम जाने की सड़क ।
दक्षिण में - आंवला रेलवे स्टेशन ।

आज्ञा से

प्रदीप भटनागर,
सचिव, गृह एवं गोपन विभाग ।

--2/-